जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर
95/2016
A3

प्रकरण सं0 95/2016 अनवानी श्री बृजलाल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी मम्मड़खेडा तहसील सादुलशहर बनाम 1—अर्जुनराम 2—दलीप 3—कृषणलाल 4—मामाराज पि0 काशीराम जाति जाट नि0 मम्मड़खेड़ तह0 सादुलशहर 5—रूकमा 6—तखु 7—नानू पुत्रीयां काशीराम 8—उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर 9—तहसीलदार सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.12.2016

प्रार्थी श्री बृजलाल के अभिभाषक श्री हरीशकुमार सोनी उपस्थित है। अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री प्रेमप्रकाश मक्कड उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि चूंकि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में लंबित प्रकरण संख्या 154/2014 बृजलाल बनाम पृथ्वीराम वगैरा धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के आधार पर यह मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया है। यदि उक्त प्रकरण किसी अन्यत्र न्यायालय में सुनवाई व निस्तारण के लिए स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नही है।

प्रार्थी श्री बृजलाल के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा श्रीमति रीना छींपा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में लंबित प्रकरण संख्या 154/2014 बृजलाल बनाम पृथ्वीराम वगैरा धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अब चूंकि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर की पीठासीन अधिकारी का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और प्रार्थी इस मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र पर कोई कार्यवाही नही चाहता है अर्थात नॉट प्रैस करता है। इसलिए मुकदमा मुन्तकिली का यह प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा श्रीमति रीना छींपा, उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में लंबित प्रकरण संख्या 154/2014 बृजलाल बनाम पृथ्वीराम वगैरा धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अब चूंकि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर की पीठासीन अधिकारी का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गयी है। प्रार्थी भी इस मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र पर कोई कार्यवाही नही चाहता है अर्थात नॉट प्रैस किया है। इसलिए प्रार्थी का यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 20.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8760
28-12-16

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर